[illegible] बैंक प्रकरण संख्या 14/2022(GCMS : 2022/18) **ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–।।, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई–600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्मान नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर–302019 राजस्थान** **<u>बनाम</u>** **<u>1.</u> श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र** बलतेज सिंह पता वार्ड नं. 9, ढींगावाली चक 2 एलएल जिला श्रीगंगानगर –335002 **<u>2.</u> श्री बलतेज सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह प**ता वार्ड नं 9, ढींगावाली चक 2 एलएल जिला श्रीगंगानगर – 335002 **<u>3.</u> श्रीमती जसविन्दर कौर पत्नी श्री बलतेज सिंह** निवासी वार्ड नं. 9, ढींगावाली चक 2 एलएल जिला श्रीगंगानगर राजस्थान –335002

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>02.03.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव मिढा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी गुरप्रीत सिंह, बलतेज सिंह एवं जसविन्द्र कौर को ऋण सुविधा के रूप में 2.30/– रूपये (अखरे रूपये दो लाख तीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 28.01.2019 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बलतेज सिंह ने अपनी आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 88(क्षेत्रफल 3196 वर्गफीट), ग्राम 4 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 04.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 04.06.2021 को [illegible]/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य [illegible] है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 21.06.2021 को [illegible] बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी बलतेज सिंह **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक** रखी गई आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 88(क्षेत्रफल 3196 वर्गफीट), ग्राम 4 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी गुरप्रीत सिंह, बलतेज सिंह एवं जसविन्दर कौर** को 2.30/– लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख तीस हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.01.2019 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी बलतेज सिंह **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी** सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 88(क्षेत्रफल 3196 वर्गफीट), ग्राम 4 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **04.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी **ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.06.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.06.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:42 IST
Reason: SelfAttested

सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों का विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी बलतेज सिंह ने अपनी आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 88(क्षेत्रफल 3196 वर्गफीट), ग्राम 4 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.06.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.06.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण गुरप्रीत सिंह, बलतेज सिंह एवं जसविन्दर कौर को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.06.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **अप्रार्थी बलतेज सिंह** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:31:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी बलतेज सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 88 (क्षेत्रफल 3196 वर्गफीट), ग्राम 4 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:42 IST
Reason: SelfAttested